

I/11125/2022



भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय
Integrated Regional Office
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, शिवालिक खण्ड, लॉगवुड
CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
Shimla, Himachal Pradesh - 171001



ईमेल/Email : iro.shimla-mefcc@gov.in
 दूरभाष/Tel.: 0177-2658285
 0177-2652541
 फैक्स/Fax: 0177-2657517

Dated: 15.10.2022

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)
 हिमाचल प्रदेश सरकार,
 आर्म्सडेल बिल्डिंग, शिमला।
(Email:- forestsecy-hp@nic.in).

विषय: Diversion of 12.04 ha of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri (BG) Rail Line (Phase-IV) in favour of Rail Vikas Nigam Ltd., within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh. (Online Proposal No. FP/HP/Rail/146861/2021).

सन्दर्भ: नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या एफ.टी. 48-5495/2021 (एफ.सी.ए.) दिनांक 14.10.2022.

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण पर नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हि0प्र0 के पत्रांक दिनांक 08.03.2022 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक-09.08.2022 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लेखित शर्तों की अनुपालन आख्या नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल, हिमाचल प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार **Diversion of 12.04 ha of forest land for the construction of Bhanupali-Bilaspur-Beri (BG) Rail Line (Phase-IV) in favour of Rail Vikas Nigam Ltd., within the jurisdiction of Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, Himachal Pradesh हेतु विधिवत् स्वीकृति (Stage-II Approval)** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
 (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 3.82 हे0 वन भूमि Compartment No. 53A/7, UPF Ghatewal, Shree Naina Devi Ji Forest Range, Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, H.P. व 10 हे0 वन भूमि Compartment No. 53A/11, DPF Guru Ka Lahore, Shree Naina Devi Ji Forest Range, Bilaspur Forest Division, Distt. Bilaspur, H.P. प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
4. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृति आदेश जारी करेगी।

I/11125/2022

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार **2143 Trees (1021 Trees, 1082 Saplings and 40 Bamboo Clumps)** से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. **Speed regulating signage will be erected along the railway line at regular intervals in the Protected Areas/Forest Areas.**
8. The State Government shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same along with documentary evidence be provided to this office.**
9. **The State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer In-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. He will submit a list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained.**
10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. संबंधित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिसपर Forward, Backward बीयरिंग अंकित होंगे।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
21. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

I/11125/2022

22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

भवदीय,

हो/-

(सत्य प्रकाश नेगी)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर वन महानिदेशक (एफ.सी.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 (E-mail: adgfc-mef@nic.in).
2. वन महानिरीक्षक (आर.ओ.एच.क्यू.) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली – 110003 (E-mail: rohq-mefcc@gov.in).
3. नोडल अधिकारी-सह-अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (एफ.सी.ए.), हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग, टालैंड, शिमला (E-mail: nodalfcahp@yahoo.com).
4. आदेश पत्रावली।